

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-21-छत्तीसगढ़ गजट/38.सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जून 2011—आषाढ़ 3, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक 4404/डी-1537/21-ब/छ.ग./2011.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्र. 39 सन् 1987) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिवक्ता के परामर्श से छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

संशोधन

नियम 19 में अंक एवं शब्दों “रु. 50,000/- (रु. पचास हजार)” के स्थान पर अंक एवं शब्दों “रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख)” प्रतिस्थापित किया जाय.

Raipur, the 24th June 2011

NOTIFICATION

No. 4404/D-1537/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002, namely—

AMENDMENT

In Rule 19 for the figures and words "Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand)" the figures and words "Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac)" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.